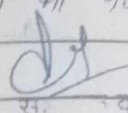




न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रा
प्रकरण : संख्या - 126/2023 910413 सीपक 22/11/23 बनाम सुरेश स

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	पक्षकार बनाया जाना मुनिश्चित किये। पक्षां वाक्ते बनाए जाने
	पक्षकार समस्त पक्षी, दि. 25.11.23 को पेश की।
	 सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द
85.11.23	पक्षां पेश हुई उम्मीदवार पक्षी 300 कि. सं. 1 व 2 3130 पक्षी वाक्ते पक्षां कि. सं. 1 व 2 3130 दि. 10.01.25 को पेश की।
10-1-2025	पञ्चाली पेश हुई। पक्षी अधि- वक्ता उपास्थित। प्रकरण निम्नी संख्या-1 व 2 की तामील होकर बाद तामील लगान जात होकर पञ्चाली संलग्न ही पञ्चाली के अन्तर्गत से आसीर होला ही पेशी दिनांक 27/10/23 से पूर्व ही निपक्षीगण को समान तामील हो चुके हैं किन्तु निपक्षीगण की ओर से पेश की हेतु कोई भी उपास्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में निपक्षी संख्या-1 व 2 के विषय एक नरदा कार्यावाही का आदेश दिया जाता है। प्राचीन के अधिवक्ता को सभी पक्षकारों (पक्षी वाक्ते वाक्तेदारों) को पक्षकार बनाने हेतु आदेशित किया जाने के बावजूद किसी भी उम्मीदवार पक्षी वाक्तेदार को पक्षकार बनाया जाने हेतु अधि. प्राची द्वारा कोई आर्थिक प्र/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। न्यायालय में प्रत्येक पर अधि.

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि उनका विपक्षीयता के अतिरिक्त अन्य किसी भी पड़ोसी खातेदार से कोई विवाद नहीं है जिससे वे अन्य किसी भी पड़ोसी खातेदार को परेशान नहीं बनाना चाहते हैं। प्रार्थीगण द्वारा अन्य किसी भी पड़ोसी खातेदार को परेशान नहीं बनाया जाना चाहे जाने से एवं विपक्षी संख्या - 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से अब अन्य पड़ोसी खातेदारों के कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सीमा की जानकारी प्राप्त करने / सीमा पर निशानात डालना चिन्हों का अंकन कराने / पत्थरगढ़ी कराने का पूर्ण अधिकार है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को मौका कमिश्नर शुल्क राशि 2500/- रुपये (दो हज़ार पचास रुपये मात्र) पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजसमन्द ग्राम पीपड़ा, पण्डरी पीपड़ा, तहसील राजसमन्द की डारानी नम्बर, 1721, 1724, 1726 की पत्थरगढ़ी / निशानदेही मौके पर सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचित कराते हुए कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना	



न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपविभागीय अधिकारी
प्रकरण : संख्या - 126/2023 ज०१५ शीर्षक दशरथ दत्त बनाम अरवि

शीर्षक

7664292

बनाम सुरजि

दिनांक

कार्यवाही प्रकरण

करावें। एवं बाद पालना, पालना रिपोर्ट
पेश करें। तहसीलदार राजमंड को पालनार्थ
तेहरिद जारी हो।

पञ्चाली फैसल सुमा होऊ नञ्छ
ले क्छा होवे ।

✓